संरक्षण चलाया और स्कूल प्रांगण में पौधरोपण किया। साथ ही सभी लगाए गए पौधों की देखभाल का प्रण भी लिया।

स्कूल प्रवक्ता ने बताया कि पिछले वर्ष भी विद्यालय के छात्रों द्वारा स्कूल और उसके आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर दो सौ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए थे। उक्त पौधे बच्चों की देखभाल के चलते हुए वृक्ष का रूप धारण करते जा रहे हैं।

प्राचार्य अशोक दांगी ने बताया कि विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष पौधरोपण की मुहिम को आगे बढ़ाया जाता है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों ने इस बार चार सौ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

...पर नशीले पदार्थों का कारोबार करने का आरोप है। पुलिस द्वारा बार-2 पकड़ने के बाद आरोपियों ने जमानत पर आने के बाद दोबारा से नशीले पदार्थ बेचने शुरू कर दिए थे।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ पी.आई. टी.एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1988 की धारा-3 के तहत केस तैयार किया गया। केस को पुलिस महानिदेशक हरियाणा के माध्यम से गृह विभाग, हरियाणा को भेजा गया। गृह विभाग, हरियाणा द्वारा राजकला व रानी के केस को उचित मानते हुए जिला पुलिस द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए दोनों को एक साल के लिए निरुद्ध रखने के आदेश जारी किए गए।

वहीं, गृह विभाग के आदेशों की पालना करते हुए प्रभारी ए.एन.सी. स्टाफ मनोज कुमार द्वारा दोनों को दिनांक 23.07.2024 को हिरासत में लेकर जिला जेल सुनारियां में बंद कराया गया था। वहीं, पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है।

रोहतक, 27 जुलाई (मनपाल) : मंगलकमल स्थित जिला कार्यालय में आहूत जिला पदाधिकारियों की बैठक में जिलाध्यक्ष एडवोकेट ढाका ने अपने संबोधन में कहा कि हमें विश्वास है कि हम रोहतक जिला की चारों सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होंगे।

ढाका ने जोड़ा कि सदा कोई किसी सीट पर नही जीत सकता। कई बार बेशक जीत दर्ज कर लेकिन सीट किसी की बपौती नही हो सकती। यह वही रोहतक है जिसने उप-प्रधानमंत्री भी बनाए हैं और मुख्यमंत्री भी, लेकिन साधारण से किसान परिवार में जन्मे सैनिक ने पूर्व मुख्यमंत्री को तगड़ी पटखनी भी दी थी, यह कारनामा भी रोहतक की जनता ने किया है।

सो उन्होंने पदाधिकारियों का आह्वान किया कि कड़ी मेहनत व जनता के विश्वास से हम फिर कामयाब होंगे। गौरतलब है कि प्रदेश नेतृत्व ने रोहतक जिलाध्यक्ष एडवोकेट रणवीर ढाका को पुन: तीसरी बार निरन्तर इसी पद पर बरकरार रखते हुए काम करते रहने को कहा है। कल रिलीज सूची में अनेक जिलों के जिलाध्यक्ष को बदला गया है जबकि रणवीर ढाका को उनकी ईमानदार व परिपक्व कार्यशैली, कड़ी मेहनत व सबको साथ लेकर चलने की आदत के कारण पुनः जिलाध्यक्ष के रूप में जीवनदान मिला है। बैठक में जिला महामंत्री आशा शर्मा, सुखबीर चंदोलिया, जिला उपाध्यक्ष हरिओम मित्तल भाली, उदयभान मलिक, सत्यप्रकाश बिसला मौजूद रहे।

जानकारी दे रही भजन पार्टियां : डी.सी.

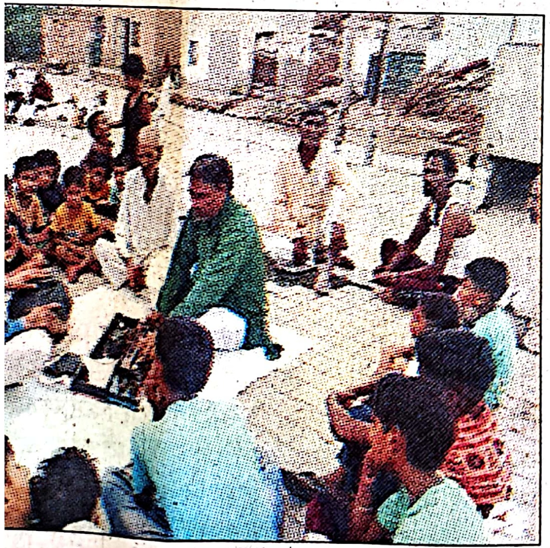

...ाकर जानकारी देते कलाकार।

...ी योजनाएं, नीतियों और उपलब्धियों के बारे में आमजन को जागरूक करने का काम कर रही है।

विशेष प्रचार अभियान का उद्देश्य आमजन को सरकार की विकासात्मक नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों के साथ-साथ लोकप्रिय योजनाओं बारे लोक गायन शैली के माध्यम से जागरूक करना है। प्रचार अभियान के लिए प्रचार टीम की ड्यूटी लगाई गई है, जो जिला के समूचे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों व योजनाओं के बारे में प्रचार कर रही हैं।

PUBLIC NOTICE

आपने उक्त कॉलोनी (इसके बाद "आवंटियों" के रूप में संदर्भित) में प्लॉट/संपत्ति के आवंटन की बुकिंग/खरीद की प्रक्रिया में प्रवेश किया है। संशोधित लेआउट योजना के साथ एक अतिरिक्त लाइसेंस को 3.26875 एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र के साथ फिर से अनुमोदित करने का इरादा है, जो कि 2019 के पहले अनुमोदित लाइसेंस 111 के अलावा 5.31875 एकड़ का कुल भूमि क्षेत्रए 8.5875 एकड़ का कुल भूमि क्षेत्र है।

और जबकि निदेशक. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा चंडीगढ़ के कार्यालय को अतिरिक्त लाइसेंस के लिए अनुदान के खिलाफ आपत्ति मांगने की आवश्यकता है।

तदनुसार, इस नोटिस के माध्यम से उक्त कॉलोनी के लाइसेंस के अतिरिक्त अनुदान पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। पहले से अनुमोदित लाइसेंस और लेआउट प्लान की एक प्रति, जिसका मेमो नंबर LC-3532-JE(MK)2021/31348 है और लाइसेंस के अतिरिक्त अनुदान के लिए आशय पत्र, जिसका मेमो नंबर LC-3532-B/JE(RK)/2024/23067 है। और लाइसेंस प्रदान करने के लिए संशोधित लेआउट योजना हमारी वेबसाइट www.landwaysdevelopers.com पर उपलब्ध है। पहले बताए गए लाइसेंस और लेआउट योजना और अतिरिक्त लाइसेंस अनुदान और संशोधित लेआउट योजना को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भी देखा जा सकता है। मकान नंबर 1176, सेक्टर 6, बहादुरगढ़ और कॉर्पोरेट कार्यालय लैंडवेज डेवलपर्स इंडिया एलएलपी आर 3 फर्स्ट फ्लोर लो राइज ब्लॉक रुहिल रेजीडेंसी सेक्टर 3, बहादुरगढ़, जिला झज्जर हरियाणा 124507 और साथ ही वरिष्ठ नगर योजनाकार, रोहतक (एचआर) के कार्यालय में।

यदि आपके पास अतिरिक्त लाइसेंस देने पर कोई आपत्ति/ सुझाव है, तो इस नोटिस के जारी होने के 30 दिनों के भीतर (अर्थात् 29.08.2024 को या उससे पहले) वरिष्ठ नगर योजनाकार, रोहतक के कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं किया जाएगा। यह मान लिया गया कि भवन योजना में प्रस्तावित संशोधन पर कोई आपत्ति/सुझाव नहीं है।

स्थान: बहादुरगढ़, दिनांक: 28.07.2024 लैंडवेज़ डेवलपर्स इंडिया एलएलपी

CMYK